सं०सं0–7 / MCH–35–03 / 2023– 39(7B)

बिहारसरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवामें,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–29/01/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गयाजी के विभिन्न भवनों की मरम्मति एवं अन्य विविध कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 11,51,85,330/– (रुपये ग्यारह करोड़ इक्यावन लाख पचासी हजार तीन सौ तीस) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना की अवशेष राशि रु० 6,51,85,330/–(रुपये छः करोड़ इक्यावन लाख पचासी हजार तीन सौ तीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य महाप्रबंधक (परि०), बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक–8249, दिनांक–21.01.2023 द्वारा अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गयाजी के विभिन्न भवनों की मरम्मति एवं अन्य विविध कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 मे, कुल रु० 11,51,85,330/– (रुपये ग्यारह करोड इक्यावन लाख पचासी हजार तीन सौ तीस) मात्र का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराया गया था जिसके आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय पत्रांक–150(7), दिनांक–01.08.2023 के द्वारा अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गयाजी के विभिन्न भवनों की मरम्मति एव अन्य विविध कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाए एवं आधारभूत संरचना निगम लि० पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 11,51,85,330/– (रुपये ग्यारह करोड इक्यावन लाख पचासी हजार तीन सौ तीस) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रु० 5,00,00,000/–(रुपये पॉच करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2– पुनः निगम के पत्रांक–4923, दिनांक–06.08.2025 द्वारा पूर्व मे उपलब्ध करायी गयी राशि के व्यय उपरान्त किये गये मांग के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एव अस्पताल, गयाजी के विभिन्न भवनों की मरम्मति एवं अन्य विविध कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 11,51,85,330/– (रुपये ग्यारह करोड इक्यावन लाख पचासी हजार तीन सौ तीस) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 मे योजना की अवशेष राशि रु० 6,51,85,330/–(रुपये छः करोड इक्यावन लाख पचासी हजार तीन सौ तीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उक्त कार्य विभागीय राज्यादेश सं0–150(7), दिनांक–01.08.2023 के निहित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के द्वारा कराया जायेगा।

4– इस राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय– 0039–अस्पतालों एव औषधालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड–20–2210011100039 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुरक्षण एव मरम्मत (27–02) मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5— इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

6— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001के अन्तर्गत ledger ID-----------में जमाकर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

7— बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

8— राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561 वि0(2), दिनांक—17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक—27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक—31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

10— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—7/MCH—35—03/2023 के पृष्ठ—11/टि0 मे प्राप्त है।

11— प्रस्ताव एवं प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

12— संबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.1.26

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—7/MCH—35—03/2023— 39 (7B) /स्वा0, पटना, दिनांक—29/01/2026

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्राचार्य/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गयाजी/जिला पदाधिकारी, गयाजी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7बी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29.1.26

सरकार के अपर सचिव